और भत्ते बढ़ाने पर चर्चा करने वाला विधायी कार्य भी है। इसलिए, हमारे पास बहुत बड़ी कार्यसूची है। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। सरकार ने दोनों मदें एक साथ दी हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) **:** सभापति जी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यह अच्छी बात इन्होंने कही है, इसमें सुधार कीजिए।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने आरंभिक वक्तव्य में इस विधेयक की काफी बातों को कवर किया है। वाद-विवाद के अंतिम उत्तर में वह वाद-विवाद के दौरान उठे कई तकनीकी मुद्दों का निपटारा करेंगे।

मेरा प्रयोजन अति सीमित है। मैं सुस्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक एक प्रकार से हमने ऊपर वर्ष 1974 में विश्व द्वारा लगाए परमाणु संबंधी उन भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों की समाप्ति का सफर है। ऐसे कहा गया है कि ऐसा अमेरिकी हित को बढ़ावा देने और अमेरिकी निगमों की मदद करने के लिए किया जा रहा है। मेरे विचार से यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है, ऐसा पहली बार नहीं है कि मुझ पर ऐसा करने का आरोप लगाया गया है। मुझे याद है और आडवाणी जी को भी याद होगा कि जब वर्ष 1992 में मैंने कांग्रेस सरकार का बजट प्रस्तुत किया था, तो कुछ अपवादों के साथ पूरे विपक्ष ने उठकर यह कहा था कि मुझ पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए और यह बजट अमरीका में तैयार किया गया है।

सभापति महोदया, इतिहास इसका फैसला करेगा। हमने वर्ष 1991 में क्या किया अैर इसने क्या और किसके लिए योगदान दिया। श्री जसवंत सिंह जी ने इसे पुनरुज्जीवित और समर्थ भारत कहा है। मैं इसका फैसला इस देश की जनता पर छोड़ता हूं। इसी प्रेरणा से हमारी सरकार ने परमाणु संबंधी भेदभाव के समाप्त करने के अपने सफर को पूरा करने का प्रयास किया है। यह कहना कि एक प्रकार से हमने भारत के राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है, तथ्यों का मजाक बनाना है।

इसके विस्तार में जाए बिना, मैं पुन: दृढ़तापूर्वक यह कहूंगा कि जहां हम इस विधेयक को दृढ़ संकल्प के साथ लेकर चले हैं वहीं यह प्रक्रिया वर्ष 1999 में आरंभ की गई थी। जब मैंने परमाणु ऊर्जा आयोग की पुरानी फाइलें देखीं तो मैंने पाया कि हमारे वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों द्वारा काफी कार्य किया गया है, वे सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत को ऐसे कानून की आवश्यकता है। उस समय हम सत्ता में नहीं थे। परंतु यह निश्चित रूप से सच है कि जब हम सत्ता में आए, तो हमने अमरीका के साथ चर्चा के दौरान 10 सितंबर को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हमने कहा कि हम ऐसा विधेयक लाएंगे और ऐसा कानून बनाएंगे। यह किसी भी प्रकार से भारत के हितों के विरुद्ध नहीं है और सच यह है कि इसका ज्ञापन में उल्लेख किया गया था, जो कि निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी मंशा का कार्य नहीं था, जैसा कि श्री जसवंत सिंह ने अर्थ निकालने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, ये कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां हैं, जो मैं करना चाहता था। जिन तकनीकी मुद्दों को उठाया गया है, उसका उत्तर मेरे सहयोगी देंगे। परंतु मैं श्री जसवंत सिंह से सहमत हूं कि परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का उपयोग एक गंभीर मुद्दा है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। अत: मेरा मानना है कि परमाणु ऊर्जा के उपयोग के संबंध में सभी कार्य काफी ध्यानपूर्वक करने चाहिएं। उनकी परमाणु सुरक्षा के संबंध में चिंता से मैं पूर्णतया सहमत हूं और मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है, जो अपने आप में पूर्णतया स्वतंत्र निकाय है। यह तथ्य कि हमारे पास 40 से अधिक संयंत्र हैं, परंतु उनमें अब तक एक भी हादसा नहीं हुआ इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को जाता है, जो हमारी परमाणु सुविधाओं की देखरेख करते हैं।

सभापति महोदय, मैं इस भावना की कदर करता हूं, परंतु केवल अपनी उपलब्धियों पर निश्चित नहीं हुआ जा सकता। हम परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के सुदृढ़ीकरण हेतु सबकुछ करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हेतु परमाणु ऊर्जा मुख्य स्त्रोत के रूप में पूर्णतया सुरक्षित रहें।

सभापति महोदय, यह प्रश्न उठाया गया कि क्या परमाणु विद्युत आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प है। जैसा कि स्पष्ट है परमाणु ऊर्जा से प्रतिष्ठानों के किए गए सभी अध्ययनों में मैंने पाया है कि एक सीमा के बाद कोयला खानों के पश्चात् परमाणु ऊर्जा अब सबसे पसंदीदा विकल्प है। परंतु प्रौद्योगिकी सतत् नहीं है। प्रौद्योगिकी परिवर्तित हो रही है और तेजी से परिवर्तित हो रही है।

[डॉ. मनमोहन सिंह]

मैं यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हमारे भविष्य में क्या है, परंतु अगर भविष्य में यह प्रतीत होता है कि परमाणु विद्युत एक व्यवहार्य विकल्प है; तो मुझे लगता है कि भारत को उस परमाणु विद्युत का इस्तेमाल करना चाहिए। विकास केवल प्रौद्योगिकीय ढांचे को निर्धारित ही करना नहीं हैं। विकास अंतिम विश्लेषण में विकास के विकल्पों को विस्तृत करने का कार्य है, जो हमारे देश के लिए खुले हैं और जो हमारी सरकार ने लिया है उससे और अधिक अवसरों का सृजन हुआ है, जिससे भारत के पास अपने भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की और अधिक विकल्प होंगे।

नि:संदेह यह सत्य है कि वर्तमान में पन विद्युत क्षेत्र सीमित में विकल्प है। जहां तक जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन का सवाल है, कोयला क्षेत्र में भी सीमित विकल्प हैं। अत: परमाणु विद्युत एक ऐसा विकल्प है, जिसकी हमें सीधे अनेदखी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमने जो किया है उससे भारत को परमाणु वाणिज्य के क्षेत्र में अन्य इच्छुक देशों के साथ व्यापार करने में सहायता मिलेगी जिससे विकास में विकल्प को बढ़ाया जा सकेगा। ताकि ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को एकजुटता के साथ पारित किया जाए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) : महोदय, 123 समझौते पर हस्ताक्षर करते समय यह स्पष्ट किया गया था कि भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की शर्तों को मानना होगा, जिसके क्रम में नए अधिनियम को अधिनियम करना होगा जहां भारत का परमाणु वेंडर्स रिएक्टर बेचने वालों को किसी दायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

सायं 6.10 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

ऐसा लगता है कि इसके मौजूदा रूप में विधेयक, जिसे हम आज पारित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक यही करने का आभास कराता है।

यह पूरी तरह से परमाणु संयंत्रों के आपूर्तिकर्ता की क्षतिपूर्ति करता है तथा परमाणु दुर्घटना का पूरा दायित्व संयंत्र के प्रचालक को सौंपता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपूर्तिकर्ता की प्रचालक के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों, विशेषरुप से तब जब वे उपकरण की आपूर्ति के बाद प्रकाश में आते हैं, में भागीदारी का कोई दायित्व नहीं है। आपूर्तिकर्ता को दायित्व से मुक्त करने का अर्थ यह है कि उपकरण की गुणवत्ता के संबंध में प्रचालक को राजी करने के बाद आपूर्तिकर्ता इसके बाद होने वाली किसी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

मैं मानती हूं कि ऐसा करने से जोखिम और बढ़ेगा जिसके तहत आपूर्तिकर्ता अपनी लागत और लाभ को कम करने के लिए सुरक्षा के साथ समझौता कर सकता है। सुरक्षा के साथ समझौता करने से परमाणु दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इस विधेयक के अनुसार कोई दुर्घटना होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता किसी प्रकार के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे।

विधेयक के खण्ड 17, जो आपूर्तिकर्ता के विसाद कार्रवाई से संबंधित है, से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे पूरी तरह से आपूर्तिकर्ताओं की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह कहना कि आपूर्तिकर्ता से क्षति की वसूली क्षति पहुंचाने के इरादे का प्रमाण मिलने के बाद किया जाएगा, यह पूरी तरह बेतुकी बात है, क्योंकि सबसे पहले क्षति पहुंचाने का इरादा रखने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी निशान मिट जाए और उसकी ओर कोई उंगली न उठे। दूसरी बात यदि क्षति पहले ही पहुंचाई जा चुकी है, तो लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, तो उसमें दोष ढूंढने का क्या फायदा, क्योंकि उसने तो पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? मेरे विचार में इसे भी बदलने की आवश्यकता है।

तीसरी बात, विधेयक के खण्ड 2 में यह उल्लेख है कि परमाणुवीय नुकसान को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। खण्ड 6 में यह उल्लेख है कि सरकार ही अधिसूचना जारी करने के बाद इसकी अधिकतम सीमा को बढ़ा सकती है हुए नुकसान की प्रमात्रा भी सरकार द्वारा तय की जाएगी। यदि यह धनराशि 1500 करोड़ रुपए से अधिक है, तो सरकार को और अधिक धनराशि का भुगतान करना होगा और वर्तमान में सभी परमाणुवीय संयंत्र सरकार के स्वामित्व में है। अत: मेरे विचार में हितों में पूरी तरह से टकराव है, जहां सरकार हर बात का निर्णय लेती है, अधिसूचित करने का निर्णय लेती है तथा अधिकतम सीमा में वृद्धि करती है और तत्पश्चात् सरकार को ही इसका भुगतान करना पड़ता है। अत: मेरे विचार में इस खण्ड को भी बदलने की आवश्यकता है और किसी स्वतंत्र निकाय को इन मुद्दों पर निर्णय लेने का

दायित्व दिया जाना चाहिए। जिस मुख्य मुद्दे पर मैं आना चाहती हूं, वह यह है कि परमाणुवीय त्रासदी की स्थिति में जहां तक इस राष्ट्र के लोगों की जान माल का संबंध है, 1500 करोड़ रुपए के तो कीजिए कोई भी आर्थिक दायित्व इसके बराबर नहीं हो सकता। यदि आप जापान जैसे देशों को देखें तो दीजिए वहां इसी दायित्व यह 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर है। वे 1500 करोड़ रुपए को एक मजाक के रूप में लेते हैं, 1500 करोड़ रुपए आज एक बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन 20 वर्ष बाद 1500 करोड़ रुपए की उतनी कीमत नहीं होगी तथा जनसंख्या आज की तुलना में कहीं अधिक होगी। तत्पश्चात् एक निकाय होगा जो निर्णय लेगा कि यह धनराशि नियमित रूप से कैसे बढ़े?

मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि 1982 में अमरीकी मूल की संदिया नेशनल लेबोरेटरी ने न्यूयार्क के निकट इंडिया प्वाइंट न्यूक्लियर पॉवर प्लांट नामक परमाणु संयंत्र पर एक अध्ययन किया था। उसने एक अध्ययन किया कि बदतर स्थिति में सबसे बड़ी क्षति कितनी होगी? 1982 में उसने पाया कि सबसे बदतर स्थिति में लगभग 274 बिलियन से 314 बिलियन अमरीकी डॉलर की संपत्ति की क्षति होगी। यह आज सरकार के कुल बजट से ज्यदा है। मैं यह कहना चाह रही हूं कि छोटी या बड़ी दुर्घटना होने की स्थिति में क्या सरकार इतने भारी पैमाने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की स्थिति में है?

जब हम तैयार की बात करते हैं, तो क्या सरकार के पास इस मुआवज को देने के लिए संसाधन हैं या नहीं? लेकिन इससे पहले मैं आपदा से निपटने के लिए देश की तैयारी पर आना चाहती हूं। महोदय, बाढ़ चक्रवात, टाईकून और सुनामी आदि आते रहते हैं। यदि हम अपने देश की तैयारी देखें, तो हम पाएंगे कि मूलभूत चेतावनी उपकरण भी नहीं हैं।

उपशमन, राहत और पुनर्वास को भूल जाओ, जो आपदा के बाद होता है, बल्कि हमारे पास इन बातों का पुर्वानुमान लगाने के लिए मूलभूत उपकरण भी नहीं है—चाहे वह भूज का भूकंप हो या लेह में बादल फटने की घटना या सुनामी या बाढ़ या सूखा। मैं यहां तक कह सकती हूं कि आज हमारे देश में अधिकांश नगर पालिकाओं के पास अग्निशमन वाहन भी नहीं हैं। प्राकृतिक आपदाओं की तो बात ही छोड़िए। मानवजनित आग लगने की स्थिति में यदि हम फोन करें तो अग्निशमन की ओर से हमारे फोन का उत्तर तक नहीं दिया जाता। आज हमारे पास इन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए तैयारी नहीं है।

दिल्ली में हर बच्चा यह जानता है कि आने वाले मानसून में डेंगू फैलने वाला है और मलेरिया का प्रकोप होने वाला है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार की क्या तैयारी है। आज इतने लोग डेंगू से मर रहे हैं। अस्पताल, जन-शक्ति और साधन होने के बावजूद, सरकार काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि इससे बचने के लिए इसके पास आवश्यक कार्य-व्यवस्था मौजूद नहीं है। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में हमारे देश तथा हमारी सरकार की ऐसी ही तैयारी है। इसलिए मैं यह पूछना चाहती हूं कि जब हम प्राकृतिक आपदाओं और मानवजनित आपदाओं के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम परमाणुविक आपदाओं से वैसे निपटेंगे, जो बहुत व्यापक पैमाने पर होती है। जिसके बारे में हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है।

आज हम परमाणु विद्युत की और परमाणु ईंधन की बात कर रहे हैं। कई अन्य बातें भी हैं। यदि हम भारत सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें, तो कुल अधिष्ठापित क्षमता 1,62,366 मेगावाट है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैं संक्षेप में बोलूंगी और मुख्य बात पर आ रही हूं।

आज बहुत से अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जिनसे इस प्रकार के खतरे नहीं हैं। इस संबंध में हमारे देश में ऐसी क्षमता मौजूद है जिसका कि दोहन नहीं किया गया है।

पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में क्या स्थिति है? आज परमाणु कचरा इतना खतरनाक हो गया है कि यह हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या बन गयी है। इस समय पर्यावरणविद कहां है? रेडियाधर्मी कचरा से खतरा पैदा हो सकता है? जो लाखों वर्षों तक मौजूद रहता है। इस परमाणु कचरे से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास कोई समुचित तरीका नहीं है। विभिन्न देश हमारी नदियों में कई गैलन परमाणु कचरा डाल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी बोलने के लिए बहुत से सदस्य बचे हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)